उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्याः 9/2026-200/35-1-2026
लखनऊः दिनांकः 26 फरवरी, 2026

कार्यालय-ज्ञाप

नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 743/35-1-2025, दिनांक 27 अगस्त, 2025 द्वारा राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) उ०प्र०, के अन्तर्गत अभियंत्रण संवर्ग में उत्पन्न हो रहे असंतुलन के निवारण हेतु अभियंत्रण संवर्ग में सीधी भर्ती के अभियंत्रण सहायक के 02 पदों तथा शोध सहायक अभियंत्रण के पदोन्नति कोटे के 02 पदों को समाप्त कर, राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) उ०प्र० में संयुक्त निदेशक का 01 पद तथा अभियंत्रण संवर्ग में वरिष्ठ शोध अधिकारी (अभियंत्रण) का 01 पद, इस प्रकार कुल 02 नवीन अस्थायी पदों को आदेश निर्गत होने की तिथि से दिनांक 28.02.2026 तक, यदि उक्त पद बिना किसी पूर्व सूचना के इसके पहले ही समाप्त न कर दिये जाये, सृजित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

2. महानिदेशक, राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) के पत्र संख्या 1139/6-15/सा0प्र0/74 दिनांक 16 फरवरी, 2026 से उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.08.2025 द्वारा अस्थायी स्वीकृत दोनों पदों की निरन्तरता वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए जारी करने का अनुरोध किया गया है।

3- संदर्भित कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27.08.2025 द्वारा यथाप्राविधानित शर्तों के अधीन राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) उ०प्र० में सृजित संयुक्त निदेशक के एक पद तथा वरिष्ठ शोध अधिकारी (अभियंत्रण) के एक पद की निरन्तरता वित्तीय वर्ष 2026-27 में दिनांक 01 मार्च, 2026 से दिनांक 28 फरवरी, 2027 तक के लिए बढाये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करतें हैं।

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2. महानिदेशक, राज्य नियोजन, राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ०प्र०, लखनऊ को उनके संदर्भित पत्र दिनांक 16 फरवरी, 2026 के सम्बन्ध में।
3. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
4. वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-1/2
5. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(शैलेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in